झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–223 वर्ष 2017

मुन्ना लाल साव, पे0 स्वर्गीय बुन्द लाल साव, निवासी ग्राम–घोरथम्बा, डाकघर–अर्खांगो, थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य।

2. प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची में है।

3. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार जिनका कार्यालय प्रोजेक्ट भवन, डाकघर–धुर्वा, थाना–जगन्नाथपुर, जिला–रांची में है।

4. जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर एवं थाना–गिरिडीह, जिला–गिरिडीह।

5. प्रखंड शिक्षा प्रसार अधिकारी, धनवार–1, डाकघर एवं थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह।

6. प्रधानाध्यापक सह व्यय एवं निकासी पदाधिकारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोदवारी, धनवार, डाकघर एवं थाना–धनवार, जिला–गिरिडीह। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगॉन मुखोपाध्याय**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री भारत कुमार, अधिवक्ता

उत्तरदातओं के लिए :– श्री मनोज कु0 सं0 3, एस0सी0 (खान)

03 / 18.11.2017 याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भारत कुमार और उत्तरदाताओं के विद्वान एस0सी0 (खान) श्री मनोज कु0 सं0 3 को सुना गया।

इस रिट एप्लिकेशन में याचिकाकर्त्ता ने अनुपयुक्त अर्जित छुट्टी के भुगतान के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना की है।

याचिकाकर्त्ता का मामला है कि वह दिनांक 28.02.2015 को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोडवारी, धनवार, गिरिडीह से सेवा से सेवानिवृत हुए थें याचिकाकर्त्ता की शिकायत यह है कि दो साल की अवधि समाप्ति के बावजूद अनुपयुक्त अर्जित छुट्टी जिसका वह कानूनी रूप से हकदार है, को उत्तरदाताओं द्वारा उस भुगतान नहीं किया गया है इसके बावजूद कि अधिकारियों को अभ्यावेदन कई अवसरों पर दिया गया है। हालांकि, दिनांक 11.04.2017 को उत्तरदाताओं द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया गया था, लकिन चूंकि कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, इसलिए इस रिट आवेदन को याचिकाकर्त्ता को प्रतिवादी सं0–4 के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है और यदि इस तरह का अभ्यावेदन दायर किया जाता है, तो उस पर विचार करने और अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त एवं सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। यदि दावा की गई राशि याचिकाकर्त्ता को देय पाई जातीहै, तो अभ्यावेदन के निपटान की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्त्ता के पक्ष में इसको जारी किया जाएगा।

यह रिट एप्लिकेशन उपरोक्त टिप्पणियों के साथ निपटाया जाता है।

(रोंगॉन मुखोपाध्याय, न्याया0)